न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– गणेश कुमार खीचड़ बनाम मंगलचंद आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट मु.नं0 45 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
6.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस आवेदनपत्र सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया । हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.25 को अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम गौरिया प0ह0 सुजावास तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 426/414 रकबा 0.1465 है0 के मौके की यथास्थिति कायम रखने एंव उस पर कब्जा कर किसी प्रकार कच्चा–पक्का निर्माण करने से बाज रहने हेतु पाबन्द किया गया था। चूंकि अप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 58/2025 उनवानी गणेश कुमार खीचड़ बनाम मंगलचंद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम गौरिया प0ह0 सुजावास तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 426/414 रकबा 0.1465 है0 के मौके की यथास्थिति कायम रखने एंव उस पर कब्जा कर किसी प्रकार कच्चा–पक्का निर्माण करने से बाज रहे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	